भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, 'नारकोटिक्स हाऊस', नीमच (म.प्र.)458441	सत्यमेव जयते	Government of India Department of Revenue Ministry of Finance, Central Bureau of Narcotics O/o the Deputy Narcotics Commissioner, "Narcotics House", Neemuch (M.P.) 458 441
EPABX: (07423) 223030		E-mail: dnc-neemuch@cbn.nic.in

फा.सं.I(22)03/Adm./Truck/2022- 1481-1490 दिनांक : 25.03.2022

:: निविदा सूचना ::

मध्य–प्रदेश इकाई में अफीम फसल वर्ष 2021–22 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों जैसे नीमच, सिंगोली,मनासा, मन्दसौर(2 केन्द्र), सीतामऊ, जावरा, दूधाखेड़ी (गरोठ) से अफीम कन्टेनरों को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच तथा अफीम के खाली कन्टनरों को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच से विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर बंद ट्रकों द्वारा निर्देशानुसार सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

1 विभाग को 8 से 10 बंद ट्रकों की आवश्यकता होगी।

2 ट्रक, टर्बो 32 फीट लम्बाई के होने चाहिए, जो पूरी तरह से बंद हों एंव जिनके दरवाजों पर ताला लगाकर सील किया जा सके एवं जिनको GPS द्वारा track किया जा सके।

3 सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरंभ होगा, जो माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर लगभग 20 दिनों तक चलेगा। गरोठ एवं जावरा तौल केन्द्रों पर लगभग 10 दिनों तक तौल कार्य चलेगा।

4 इच्छुक फर्म अपनी मुहरबंद निविदाओं के लिफाफें दिनांक 28.03.2022 सुबह 11:00 बजे तक कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में प्रस्तुत कर सकते है। दिनांक 28.03.2022 सुबह 11:00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

5 इच्छुक फर्म को अपनी निविदाएं दो प्रकार की प्रणालियों में जमा करनी होगी, जो की निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक– I और II) में (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली है। उपरोक्त सभी तौल केन्द्रों हेतु केवल एक ही योग्य फर्म (न्यूनत्तम दर, सभी करों सहित, वाले निविदादाता) को कार्यादेश दिया जायेगा।

6 तकनीकी बोलियों(Technical Bids) को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच की मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 28.03.2022 को 11:30 बजे खोला जाएगा और केवल उन बोलीदाताओं कीवित्तीय बोलियां, जो की तकनीकी बोलियों में योग्य है, दिनांक 28.03.2022 को 12:00 बजे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त ''नारकोटिक्स हाउस'' राजस्व कॉलोनी, नीमच (म.प्र.) में खोली जाएंगी।

नियम एवं शर्ते

1 निविदा में ट्रक किराया प्रतिदिन प्रतिट्रक एव डीजल किलोमीटर/प्रति लीटर के अनुसार दर्शाना होगा। निविदा में प्रतिदिन किराये में गुड्स एवं सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स भी अलग–अलग दर्शाए जाने चाहिए।

2 ट्रकों की टूट–फूट, रिपेयरिंग की जिम्मेदारी स्वयं पार्टी की होगी।

3 ऐसे जिम्मेदार निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पास उक्त वांछित संख्या में ट्रक उपलब्ध हों।

4 निविदादाता को दो अलग–अलग मोहरबंद लिफाफों में अपनी निविदा देनी होगी। जिसमें पहले लिफाफें पर ''**अफीम परिवहन हेतु बन्द ट्रक की निविदा हेतु तकनीकी बोली**'' एवं दूसरे लिफाफे पर ''**अफीम परिवहन हेतु बन्द ट्रक की निविदा हेतु वित्तीय बोली**' लिखना होगा।

5 निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र का बैक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच" के नाम पर देय हो, **वित्तीय बोली** वाले लिफाफ के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा एवं **धरोहर राशि के ड्राफ्ट की एक प्रतिलिपि (copy) तकनीकी बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।**

6 यदि निविदादाता का बोली में चयन होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य करने के लिये मना करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं दूसरी सबसे कम दर वाले निविदादाता को प्रदान कर दी जावेगी जिसके बारे में पुनः विचार नही किया जावेगा।

7 सभी केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य एक साथ आरंभ होगा, जो माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर लगभग 20 दिनों तक चलेगा। दिनों की संख्या घट-बढ़ सकती है एवं अफीम तौल केन्द्र भी बदले जा सकते हैं। अफीम तौल कार्य प्रारंभ होने की सूचना फर्म को पूर्व में ही दे दी जाएगी।

8 टोल टैक्स का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।

9 नोडल बिन्दु कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय एवं गरोठ होगा। आपको सभी ट्रक आदेशानुसार कार्यालय जिला अफीम अधिकारी नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड के अफीम तौल केन्द्र नीमच, सिंगोली, मनासा, मन्दसौर, सीतामऊ, जावरा, दूधाखेडी(गरोठ) में निर्धारित समय एवं दिनांक पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।

10 इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में 10:00 बजे से 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस (शनिवार एवं रविवार को छोडकर) में श्रीमति कल्पना अस्थाना, अधीक्षक से फोन 07423-297792 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

11 यदि निविदादाता द्वारा निश्चित समय तक ट्रक उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, अथवा परिवहन के दौरान ट्रक खराब हो जाता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कार्य निष्पादन हेतु किसी भी स्थानीय फर्म से ट्रक भाड़े पर ले लेवे तथा इस संबंध में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

12 वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेन्स व वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेन्स होना अनिवार्य है।

13 ट्रक वाहन चालक व क्लीनर को किसी भी प्रकार के नशे का व्यसन नहीं होना चाहिये।

14 फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।

15 श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक या सभी निविदा को निरस्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा। सर्वाधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के पास सुरक्षित रहेगा।

16 इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।

17 केवल वहीं फर्म निविदाए प्रस्तुत करे जो जी.एस.टी में पंजीकृत हो तथा आयकर रिर्टन भरती है। पिछले वर्ष 20-21 की आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें।

24/03/2022

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर दिनांक 24.03.2022 को अपलोड (प्रकाशन) करने का श्रम करें।

2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय एंव गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित (केवल ई–मेल द्वारा) है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

24/3/22

अधीक्षक (कार्य.)

तकनीकि बोली (Technical Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2021–22 हेतु तौल केन्द्रों पर ट्रक किराये पर देने के लिए)

1	टेंडरिंग कंपनी का नाम (कंपनी के संक्षिप्त प्रोफाइल के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
2	कंपनी के प्रोप्राइटर/निदेशक का नाम	
3	टेलीफोन नंबर फैक्स और ई–मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
4	ऑपरेटिंग/शाखा कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नंबर फैक्स और ई–मेल के साथ	
5	पिछले वित्त वर्ष 2020–21 की आयकर विवरणी की प्रति संलग्न करें।	
6	वस्तु एंव सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7	शपथ पत्र – यह बताते हुए कि कंपनी को पिछले तीन वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है(प्रतिलिपि संलग्न करें) और न ही किसी भी सरकारी विभागों के साथ कोई मुकदमेबाजी लंबित है।	
8	धोखाधडी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में घोषणापत्र (निविदा दस्तावेज में दिये गए एनेक्सर–III में विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित)	
9	निविदा दस्तावेज निष्पादित करने के लिए फर्म द्वारा किसी व्यक्ति का प्राधिकरण (authorisation)	
10	टर्बो 32 फीट लम्बाई वाले उपलब्ध ट्रकों की संख्या, जिन्हे GPS द्वारा trackकिया जा सके।	

तारीख –

स्थान –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

वित्तीय बोली(Financial Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2021–22 हेतु तौल केन्द्रों पर ट्रक किराये पर देने के लिए)**सभी करों सहित**

1.	बोलीदाता फर्म का नाम	
2.	पता (टेलिफोन नम्बर एवं फैक्स नम्बर के साथ	
3.	प्रोप्राईटर / निदेशक / भागीदार का नाम व पता (मोबाईल नम्बर सहित)	
4.	प्रदाय किये जाने वाले ट्रकों की संख्या	
5.	प्रति ट्रक प्रतिदिन की दर से किराया (रूपयों में)	
6.	प्रति किमी. प्रति लीटर की दर से शुल्क	
7.	ट्रक को किसी दूसरे शहर से लाने व वापस ले जाने पर प्रति ट्रक किराया (यदि आवश्यक हो)	
8.	जी.एस.टी.	
9.	कुल राशि (उपरोक्त 5+6+7+8)	

तारीख –

स्थान –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

धोखाधडी और भ्रष्ट आचार के बारे में घोषणा

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, मैं/हम न तो किसी अनुबंध के अनुपालन में असमर्थ रहा/रहे हैं और न ही मैं/हम पर किसी मध्यस्थ अथवा न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी भी परियोजना या अनुबंध के मेरे/हमारे भाग पर उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से निष्कासित किया गया है।

(क) मैं/हम किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रतिनिधि एजेन्ट के माध्यम से किसी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधडी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधकारक कार्य में लिप्त नहीं हैं जो कि किसी भी निविदा या प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या किसी भी सरकार, केंद्रीय या राज्य के साथ दर्ज किए गए प्रस्ताव या किसी समझौते के संबंध में हो; तथा

(ख) मैने/हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मेरी/हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करेगा या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधडी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधात्मक कार्य में लिप्त नहीं रहेगा।

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि हम या हमारे किसी भी एसोसिएटस को किसी न्यायालय (Court of Law) द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या न ही किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया है या प्रतिकूल आदेश दिये गए हैं, जो अनुबन्ध (Project) को शुरू करने के लिए हमारी क्षमता पर संदेह करता है या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित होता है जो समाज की नैतिकता को प्रभावित करता हो।

मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में, सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा हम पर न ही कोई आरोप पत्र जारी किया गया है अथवा विधि न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

मैं/हमआगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) द्वारा कोई जांच हमारे या हमारे सीईओ या हमारे निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के खिलाफ लंबित नहीं है।

तारीख –
स्थान –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील